250

पत्रांक -अ०सं०क०-14-02/2014------/

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

34 अली इमाम पथ (हार्डिंग रोड), पटना- 1

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक..30/04/15

विषय- अल्पसंख्यक छात्रावास के संचालन एवं आवंटन के संबंध में दिशा-निदेश ।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक 903 दिनांक 30.09.2003 एवं पत्रांक 621 दिनांक 04.06.2005

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास के रख-रखाव एवं व्यवस्था के संबंध में दिशा निदेश निर्गत किये हैं, परन्तु वर्त्तमान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदस्थापन एवं छात्रावास मद में आवंटन के प्रावधान के आलोक मे निम्नलिखित संशोधित दिशा-निदेश निर्गत किये जाते हैं :-

1. **(क) <u>संचालन समिति का गठन</u>**

जिलों में निर्मित/संचालित अल्पसंख्यक छात्रावास के संचालन हेतु एक संचालन समिति का गठन जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

i.	जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत वरीय पदाधिकारी	:-	अध्यक्ष
ii.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	:-	सदस्य-सचिव
iii.	अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्य शिक्षाविद्ध	:-	1 सदस्य
iv.	जिला के महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यो में से एक जो अल्पसंख्यक समुदाय के हों	:-	सदस्य
v.	जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के एक गणमान्य व्यक्ति	:-	सदस्य

(ख) जिन छात्रावास का निर्माण विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिसर में हो रहा है उनका प्रभार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का आदेश प्राप्त कर विश्वविद्यालय / महाविद्यालय प्रशासन को सौंप दिया जाय । विश्वविद्यालय / महाविद्यालय प्रशासन एक संचालन समिति का गठन कर छात्रावास का संचालन करेगी ।

(ग) **संचालन समिति की बैठक**

(i) अध्यक्ष के आदेश से आवश्यकतानुसार संचालन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी ।

(ii) संचालन समिति की सभी संचिका/बैठक की कार्यवाही पंजी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा संधारित की जाएगी ।

(घ) **संचालन समिति का दायित्व**

(i) छात्रावास में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय करना ।

(ii) छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति करना ।

(iii) प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करना ।

(iv) छात्रावास में शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना ।

(v) अवांछनीय आचरण वाले छात्रों के विरूद्ध कार्रवाई करना ।

(vi) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण करना ।

(vii) छात्रावास संचालन/रख-रखाव में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक उपाय करना ।

(viii) छात्रावास के रख-रखाव, सफाई और सुरक्षा हेतु कर्मियों की सेवाएं जॉब आउट सोर्सिंग के आधार पर प्राप्त करना । सुरक्षा कर्मी की सेवा सुरक्षा एजेंसियों से ली जाएगी एवं इसका भुगतान छात्रों से वसूली गयी राशि से किया जाएगा ।

2. **छात्रावास अधीक्षक**

(क) नियुक्ति :- इस पद पर संचालन समिति द्वारा जिले के किसी अंगीभूत महाविद्यालय/+2 विद्यालय के अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी ।

(ख) छात्रावास अधीक्षक का दायित्व :-

(i) छात्रावास में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।

(ii) छात्रों का नामांकन पंजी संधारित करना ।

(iii) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को परिचय पत्र निर्गत करना ।

(iv) छात्रावास में शैक्षणिक विकास हेतु उपयुक्त वातावरण बनाये रखना ।

(v) छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखना ।

(vi) अवांछनीय आचरण वाले छात्रों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु संचालन समिति से अनुशंसा करना तथा समिति के निदेशानुसार कार्रवाई करना ।

(vii) छात्रावास के चल/अचल संपत्ति की सुरक्षा/ बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करना ।

(viii) संचालन समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

3. **छात्रावास में प्रवेश** :-

(क) अल्पसंख्यक छात्रावास में मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय एवं अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में अध्यनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र प्रवेश पाने का पात्र होंगे ।

(ख) छात्रावास में प्रवेश का आवेदन शिक्षारत शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य की अनुशंसा से संचालन समिति को उपलब्ध कराना होगा । सीट से अधिक आवेदक होने पर मेरिट के आधार पर संचालन समिति द्वारा चयन का निर्णय लिया जायेगा । समिति का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ग) पटना में निर्मित छात्रावास में पटना विश्वविद्यालय के छात्र लाभांवित होंगे पर 40 प्रतिशत सीट पटना अवस्थित अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगी ।

(घ) छात्रावास के छात्रों का नामांकन पंजी छात्रावास अधीक्षक द्वारा संधारित किया जायेगा । जिसमें नामांकित बच्चों का आवासीय पता सहित पूर्ण विवरणी दर्ज की जायेगी ।

(ङ) छात्र/छात्राओं का दाखिला एक बार में एक वर्ष के लिए होगा तथा वार्षिक अवकाश की अवधि से व विश्वविद्यालय परीक्षा के बाद उसे स्वतः खाली कर देना होगा ।

(च) छात्रों के लिए छात्रावास में ही सामूहिक मेस के माध्यम से भोजन की व्यवस्था रहेगी, मेस का शुल्क छात्रों से वसूलनीय होगा ।

4. <u>शुल्क का निर्धारण</u> :-

(i) छात्रों से रूम भाड़ा, कॉशन मनी, कामन रूम चार्ज आदि वसूलनीय होगा, जिसका निर्धारण संचालन समिति कर सकेगी ।

(ii) वसूली गयी शुल्क की राशि अलग खाता में रखी जाएगी जिसका संचालन अधीक्षक एवं समिति द्वारा प्राधिकृत किसी एक सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा । इस की रोकड़ पंजी भी अलग संधारित की जाएगी ।

5. <u>सुरक्षा, रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्थाः-</u>

विभाग द्वारा छात्रावास के संचालन हेतु तीन किस्तों में प्रति वर्ष रू0 3,00,000/- (तीन लाख रू0) का आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा । इसके अतिरिक्त असैनिक मरम्मति तथा विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु भी अलग से आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा ।

छात्रावास की सुरक्षा एवं सफाई हेतु सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मी की सेवा ली जायेगा, जिसका भुगतान छात्रों से ली गयी राशि से किया जायेगा । इस मद में राशि की कमी होने पर इसका भुगतान रख-रखाव मद में आवंटित राशि से किया जा सकेगा ।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव

30/4/15